

सीएम गहलोत देंगे हर राज्य कर्मचारियों को घर की सौगात राज्य के 11 शहरों में एक साथ आएंगी 17 आवासीय योजनाएं

■ जलतेलीप विसं, जयपुर

राज्य के मुख्यमंत्री जलद ही राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आने वाले दिनों में राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना की सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान आवासन मण्डल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जयपुर के प्रतापनगर में बनेंगे 2 व 3 बीचएचके साइज के 624 फ्लैट्स मण्डल द्वारा बनाए जाएंगे इसके साथ ही प्रदेश के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं एक साथ लांच की जाएंगी।

- जयपुर के प्रताप नगर में बनेंगे 2 व 3 बीचएचके साइज के 624 फ्लैट्स
- मंडल द्वारा प्रदेश के 11 शहरों में लॉच की जाएंगी 17 आवासीय योजनाएं
- इन आवासीय योजनाओं में सभी श्रेणी के कुल 11 हजार 250 आवास होंगे उपलब्ध
- आवासन मण्डल के इतिहास में पहली बार होंगी इतनी योजनाएं एक साथ लॉच

पहली बार बनेगा इतिहास

+ अरोड़ा ने बताया कि ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब आवासन मण्डल एक साथ 17 आवासीय योजनाओं की लाइंग करेगा। अरोड़ा ने बताया कि इन सभी योजनाओं में सभी श्रेणी के कुल 11 हजार 250 आवास बनाए जाएंगे इन योजनाओं की लाइंग एक माह के अंदर मुख्यमंत्री के स्तर पर कर्तव्य जायेगी। राजस्थान आवासन मण्डल के 50 वर्ष के इतिहास में इन्हीं योजनाएं एक साथ कभी भी लांच नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मण्डल द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन करवाकर शीघ्र लांच किया जाएगा। इन आवासीय योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को उपरित कीमत पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

इन स्थानों पर आएंगी योजनाएं

जयपुर के प्रतापनगर, सिटोली, वटिका, महला, शाल्पुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार व देवारी, श्रीगंगानगर के सूलगढ़, टॉक के निवाई, सिटोली के आवृष्टें, प्रज्ञेत्र के नटीरावाद, किरनगढ़ और इंगरपुर व बांसवाड़ा में योजनाएं लांच की जाएंगी।

यह होंगे दाम

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि इन आवासीय योजनाएं इस योजना में 10 लाख 90 हजार रुपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 1 बीवाइके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपये में 882 वर्गफीट थ्रोंग में निर्मित 2 बीवाइके फ्लैट और 21 लाख रुपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीवाइके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस वर्ग को मिलेंगा लाभ

इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

10 प्रतिशत में मिलेगा ग्रह प्रवेश

इन आवास योजनाओं में कुल संशोधन की केवल 10 प्रतिशत संशोधन देते ही ग्रह प्रवेश मिल जाएगा साथ ही सबसे विशेष बात इन योजनाओं की यह होगी कि इन आवासीय योजनाओं में की संशोधन की किस्तों पर नहीं लगेगा जीएसटी नहीं लगेगा। अरोड़ा ने बताया कि 10 प्रतिशत दीजिये ग्रह प्रवेश कीजिये योजना में किस्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की रियाति थी। आयुक्त ने उपर किया की इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से वर्चा कर ली गई है, यह कृपक पूर्ण निर्मित मकान है इसलिये जीएसटी न तो किस्तों पर और न ही इंगमड़ी पर लगेगा, अब यह मकान आगजन को और भी सल्ले उपलब्ध होंगे।